न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

रुक्मणीदेवी बनाम कैलाश वगैरा

मुकदमा संख्या/वर्ष 25/2017 : ______ /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवर
	14.8.19	वकील उभय पक्ष उप०। वकील वादी ने संशोधित राजीनामा प्रा० पत्र पेश कर पक्षकारों को आज तस्दीक हेतु स्वयं हाजिर किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखा जाकर सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

[illegible] अधिकारी

वाद पत्र संख्या :- 24/2017

उनवान

श्रीमती देवी बेवा प्रभु जाति धोबी निवासी ग्राम खोरालाड़खानी, तह0 शाहपुरा जयपुर — वादिया

बनाम

कैलाश पुत्र सूरज जाति धोबी निवासी ग्राम खोरालाड़खानी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर — प्रतिवादी

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं खातेदारी घोषणा

निर्णय दिनांक: 14.08.2019

पत्रावली आज शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पेश हाने पर पेश हुई। वकील वादी की बहस सुनी गई। प्रकरण संक्षेप में यह है कि आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 1.35 है0 वाकै ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें 1/2 भाग वादिया के पति प्रभू एवं शेष 1/2 भाग प्रतिवादी कैलाश का पिता सूरज खातेदार काबिज काश्त था, प्रतिवादी ने अपने 1/2 भाग का विक्रय कर दिया जिसके स्थान पर अब क्रेता काबिज काश्त है। वादिया के पति प्रभु ने अपने जीवनकाल मे उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करता आ रहा था अब दिनांक 12.09.2010 को वादिया के पति प्रभु की मृत्यु के बाद वादिया स्वयं अकेली भूमि वादग्रस्त के हिस्सा 1/2 की खातेदार काबिज काश्त है। मृतक प्रभु एव वादिया के कोई सन्तान पैदा नही हुई है। इस कारण मृतक प्रभु की वादिया ही एकमात्र वारिस है जो वादग्रस्त आराजियात के हिस्सा 1/2 की खातेदार काबिज काश्त है तथा लगान मांग के अनुसार जमा कराती आ रही है। प्रतिवादी कैलाश मृतक खातेदार सूरज का पुत्र है। कैलाश ने अपने हिस्से 1/2 की भूमि वर्ष 2010 में लालचन्द पुत्र भगवानसहाय बैरवा को विक्रय कर दिया है। लालचन्द ने वर्ष 2014 में बद्री प्रसाद पुत्र भैरूराम रैगर को विक्रय कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया है तथा अपने हिस्से 1/2 पर काबिज है। वादिया के पति प्रभू का दिनांक 12.09.2010 को निधन होने तथा एकमात्र वारिस होने के कारण मृतक खातेदार प्रभु के स्थान पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित होने का हक अधिकार से दावा पेश किया गया है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया । प्रतिवादी एवं वादी ने दिनांक 18.03.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 316 के 1/2 भाग क्री खातेदार सुरज पुत्र ग्यारस के नाम रही थी तथा वादिया के पति प्रभु के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है। वादिया प्रभु की एकमात्र पत्नी ही वारिस है तथा लगान जमा कराती आ रही है। प्रभु का दिनांक 12.09.2010 को निधन हो गया है इस प्रकार राजीनामा पेश कर वादिया के हक के राजस्व रिकार्ड का अमल दरामद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र के समर्थन में वादिया के ओर से जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तथा 2057 से 2060 व 2061 से 2064 की पेश की जिसमें 1/2 हिस्सा वादिया के पति प्रभु पुत्र ग्यारसा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना साबित होता है तथा 1/2 हिस्सा पहले प्रतिवादी के पिता सूरज के नाम तथा अब क्रेतागण बद्री प्रसाद पुत्र भैरूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादिया ने स्वयं का शपथ पत्र पेश कर जाहिर किया कि विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा वादिया के पति प्रभु के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा वादिया के पति के भाई अर्थात् प्रतिवादी के पिता सूरज के नाम दर्ज थी जिसकी मृत्यु होने पर तथा सूरज की पत्नी की मृत्यु होने पर उसने वारिस प्रतिवादी ने अपने नाम खाता खुलवाकर बेचान कर दिया है जिस पर अब क्रेतागण काबिज है तथा मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है तथा कोई वारिस नही होकर वादिया अकेली ही वारिस है । जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी प्रकार प्रतिवादी कैलाश पुत्र सूरज ने तथा नारायण पुत्र मोहनलाल धोबी नि. खोरालाडखानी, मागचन्द पुत्र नन्दराम जाति धोबी नि. खोरालाड़खानी ने शपथ पत्र पेश कर जाहिर किया कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादिया के पति का देहान्त होना तथा वादिया ही एकमात्र वारिस होना जाहिर किया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

हमने वकील वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित आ
जो कि वादिया के पति के नाम दर्ज है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात् शपथ पत्र व राजस्व रिकार्ड से स्पष
कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादिया काबिज है तथा खातेदार प्रभु की एकमात्र वारिस है
प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि की विरासत का नामान्तकरण खुलवाना तथा विक्रय किया जा चुक
तथा 1/2 हिस्सा आज वादिया के पति के नाम रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है तथा वादिया के पति
देहान्त दिनांक 12.09.2010 को होना जाहिर होता है साथ ही वादिया प्रभु की एकमात्र वारिस होन
जाहिर होता है।

अतः दावा वादिया के हक में डिक्री किया किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर
रकबा 1.35 है0 वाकै ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहुपरा जिला जयपुर के 1/2 हिस्सा पर प्रभु पुत्र स्व
के स्थान पर वादिया श्रवण देवी बेवा प्रभु जाति धोबी निवासी खोरालाड़खानी को खातेदार काश्तकार घ
किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

नरेन्द्र कुमार मीना
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला ज

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 24/2017

उनवान

श्रवण देवी बेवा प्रभु जाति धोबी निवासी ग्राम खोरालाड़खानी, तह0 शाहपुरा जयपुर — वादिया

बनाम

[illegible] पुत्र सूरज जाति धोबी निवासी ग्राम खोरालाड़खानी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर — प्रतिवादी

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं खातेदारी घोषणा

अतः दावा वादिया के हक में डिक्री किया किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 1.35 है0 वाकै ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहुपरा जिला जयपुर के 1/2 हिस्सा पर प्रभु पुत्र ग्यारसा के स्थान पर वादिया श्रवण देवी बेवा प्रभु जाति धोबी निवासी खोरालाड़खानी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	